न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरूआ बनाम बलवीर S/o करणसिंह जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 24/22 निर्णय दिनाँक :– 13/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानौता की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गैरमु० तलाई में से 0.01 रकबे पर श्री बलवीर S/o करणसिंह जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 6/5/22 कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरूआ द्वारा दिनाँक 4/5/2022 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दांवदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी बलवीर S/o करणसिंह जाति जाट निवासी रानौता को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... नहीं उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112 रकबा 3.00 में से 0.01 हे० रकबे किस्म गैरमु० तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वौरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 18 Paise का 50 गुणा 9/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मौका कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरूआ भू॰अ॰निरी॰ दांवदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)